न्यूज़ टुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी

- संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) को **पांच वर्ष की अवधि** के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अभियान **15वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक जारी रहेगा।** RGSA एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की अभिशासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करना है।**
  - इस योजना को **देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू** किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत **भारतीय संविधान के भाग IX से बाहर के क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएँ भी शामिल हैं,** जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं।
  - इस योजना के तहत कोई स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा। लेकिन, आवश्यकता के आधार पर एक समझौते के अधीन मानव संसाधन का प्रावधान किया जा सकता है।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं**
  - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2016–17 में शुरू किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे **वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लागू** करने की मंजूरी दी थी।
  - यह योजना पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। साथ ही, **विकास से जुड़े उन अन्य उद्देश्यों** की प्राप्ति में भी सहयोग करती है, जिनके लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण प्रयासों की आवश्यकता होती है।
  - **योजना का वित्त पोषण इस प्रकार से होगा:**
    - सामान्य राज्यों में: केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40,
    - **पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में:** केंद्र एवं राज्य का अनुपात 90:10 तथा
    - **सभी केंद्र शासित प्रदेशों में:** 100% (केंद्र सरकार द्वारा)।
- **योजना की अब तक की उपलब्धियां**
  - पंचायतों को प्रोत्साहन दिया गया है,
  - **ई–पंचायत पर मिशन मोड परियोजना** शुरू की गई है,
  - **ई–ग्राम स्वराज पर प्रशिक्षण को बढ़ावा** दिया गया है,
  - लगभग 1.36 करोड़ निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों ने अलग–अलग प्रकार के **प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं** आदि।
- **नोट:** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान (विस्तारित) से अलग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति के तरीकों में बदलाव लाना है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित किये हैं

- DoPT ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के **प्रतिनिधित्व की कमी पर डेटा** एकत्र करने के लिए कहा है। यह डेटा सरकारी पदों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले एकत्रित किया जायेगा।
  - DoPT के ज्ञापन में उच्चतम न्यायालय द्वारा **जनवरी 2022 में दिए गए निर्णय का संदर्भ** दिया गया है। इस निर्णय में एम. नागराज बनाम भारत संघ मामला, 2006 के फैसले को सही ठहराया गया था। नागराज मामले में न्यायालय ने **सार्वजनिक नियोजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति के लिए निम्नलिखित तीन शर्तें प्रस्तावित की थीं।**
    - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के संबंध में **मात्रात्मक (संख्यात्मक) डेटा का संग्रह** किया जाना चाहिए।
    - इस डेटा को प्रत्येक संवर्ग (cadre) के लिए अलग से लागू किया जाना चाहिए।
    - संवर्ग को **पदोन्नति रोस्टर** के संचालन लिए एक इकाई माना जायेगा।

- **पदोन्नति में आरक्षण**
  - संविधान का **अनुच्छेद 16(4A)** राज्य को **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान** करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - नागराज बनाम भारत संघ मामला, 2006: उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए पालन किए जाने वाले 3 मापदंड निर्धारित किए थे।
  - जरनैल सिंह बनाम एल.एन. गुप्ता मामले (वर्ष 2018) में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि राज्यों को **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।**

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दी

- कोयला युक्त क्षेत्र (Coal Bearing Areas: CBA) अधिनियम में किसी भी ऋण भार से मुक्त, कोयला युक्त भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान किया गया है। अधिग्रहण के बाद भूमि पर सरकारी कंपनी का स्वामित्व बना रहेगा।
  - **यह नीति इस तरह की भूमि के निम्नलिखित शर्तों के तहत उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है:**
    - यह भूमि **कोयला खनन गतिविधियों के लिए अब उपयुक्त नहीं है** या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
    - ऐसी भूमि से **कोयले का खनन कर लिया गया है या उसे कोयला रहित कर दिया गया है** और ऐसी भूमि को फिर से प्राप्त कर लिया गया है।
- **इस नीति के लाभ**
  - कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के भू-क्षेत्रों को अवसंरचना विकास के लिए संयुक्त उद्यमों के माध्यम से **निजी संस्थाओं को भी पट्टे (लीज़) पर** दिया जा सकता है।
    - इससे CIL को अपनी परिचालन लागत में कटौती करने में मदद मिलेगी।
  - **कोयला गैसीकरण परियोजनाएं** भी व्यावहारिक बनेंगी, क्योंकि कोयले को दूर-दराज जगहों पर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  - परियोजना से प्रभावित परिवारों के **पुनर्वास और पुनर्स्थापन** में मदद मिलेगी।
- एक अन्य संबंधित सुर्खियों में, कोयला मंत्रालय 'माइन क्लोजर फ्रेमवर्क' पर सहयोग के लिए **विश्व बैंक** के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।
  - खान बंद करने की योजना के अंतर्गत पुनर्वास प्रक्रिया एक निरंतर कार्यक्रम है। इसके तहत खनन कार्यों द्वारा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता में आई कमी को दूर किया जाता है। इस कमी को उसी स्तर तक दूर करना है, जो सर्वमान्य हो।
  - खान बंद करने के लिए दिशा-निर्देश **वर्ष 2009 और वर्ष 2013 में** जारी किए गए थे।

भारत का सौर विद्युत ऊर्जा लक्ष्य: प्राप्ति एवं चूक

- एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत **वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (GW)** की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के अपने **लक्ष्य की प्राप्ति से चूक जाएगा।**
  - अप्रैल 2022 तक 100 गीगावाट लक्ष्य के केवल 50% लक्ष्य को पूरा किया गया है। कुल 100 GW के लक्ष्य में 60 GW **यूटिलिटी-स्केल और 40 GW रूफटॉप** सौर क्षमता शामिल हैं।
- **भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र**
  - वर्ष 2011 से, भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में **लगभग 59% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से बढ़ोतरी हुई है। भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता वर्ष 2011 की 0.5 GW से बढ़कर वर्ष 2021 में 55 GW हो गयी थी।
  - भारत वर्तमान में **सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में पांचवें स्थान** पर है।

- **लक्ष्य प्राप्ति में विफलता के कारण**
  - कोविड महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित रही है।
  - नेट-मीटरिंग (यानी ग्रिड को अधिशेष बिजली वापस देने वाले उपयोगकर्ताओं को बदले में भुगतान करना) की अपनी सीमाएं हैं।
  - आयातित सेल और मॉड्यूल पर कर भी एक बड़ी समस्या रही है।
- **प्रमुख सिफारिशें**
  - **नेट मीटरिंग और बैंकिंग सुविधाओं** के लिए विनियम सुसंगत होना चाहिए। साथ ही, इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
  - राज्यों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व {renewable purchase obligation: (RPO)} को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
  - **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के लिए पूंजीगत सब्सिडी** दी जानी चाहिए।
- भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन **(JNNSM)/ राष्ट्रीय सौर मिशन** (वर्ष 2010 में लॉन्च) आरंभ किया है।
  - इसके तहत **वर्ष 2022 तक 100 GW और वर्ष 2030 तक 300 GW** की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ऑक्सफैम ने "फर्स्ट क्राइसिस दैन कैटास्ट्रोफे" (पहले संकट, फिर विनाश) रिपोर्ट जारी की

- ऑक्सफैम की **रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि वर्ष 2022** में 26.3 करोड़ अतिरिक्त लोग चरम निर्धनता से ग्रसित हो जायेंगे। इसके लिए निम्नलिखित कारण संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे:
  - **कोविड-19 का प्रभाव,**
  - **असमानता और खाद्य एवं ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीति,**
  - यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण मुद्रास्फीति का तीव्र होना आदि।
    - इन सबके परिणामस्वरूप **कुल 86 करोड़ लोग 1.90 डॉलर प्रति दिन** की आय पर चरम गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे होंगे।
- **रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें**
  - **सामाजिक सुरक्षा के लिए एक वैश्विक कोष का निर्माण:** सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण-तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। यह कम आय वाले देशों को अपनी आबादी के लिए आवश्यक आय सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
  - **कीमतों पर नियंत्रण:** यह निम्नलिखित उपायों से संभव होगा:
    - **मुख्य खाद्य (staple food) पर मूल्य वर्धित करों में कटौती** और आय समर्थन प्रदान करने के लिए कैश ट्रांसफर।
    - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को **स्थानीय और क्षेत्रीय खाद्य प्रणालियों के विकास का समर्थन** करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कृषि उद्योग से संबद्ध बड़ी कंपनियों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए।
- **नहीं भुगतान किये जाने वाले ऋणों को रद्द करना:** सभी निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों के वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में सभी ऋण भुगतानों को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही, एक संप्रभु ऋण पुनर्संरचना तंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **विशेष आहरण अधिकारों (Special Drawing Rights: SDR) को फिर से आवंटित करना और फिर से जारी करना:** IMF के अंतर्गत SDRs को पुनः आवंटित किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यह कर्ज-मुक्त और शर्त-मुक्त हो।
- **अतिरिक्त सहायता में वृद्धि:** निम्न-आय वाले देशों को प्रदान की जाने वाली आपातकालीन सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए।

श्रीलंका ने सभी विदेशी ऋणों पर डिफॉल्ट घोषित किया

- श्रीलंका ने "अंतिम उपाय" के रूप में कुल 51 अरब डॉलर के अपने सभी विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थता प्रकट करते हुए स्वयं को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है। यह द्वीपीय देश एक **गंभीर आर्थिक संकट** से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे "सॉवरेन डिफॉल्ट" जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
  - कर्ज चुकाने की असमर्थता से जुड़ी इस घोषणा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समर्थित रिकवरी प्रोग्राम से पहले **"सभी कर्जदाताओं के साथ उचित और न्यायसंगत व्यवहार"** सुनिश्चित करना है।
- **क्या होता है सॉवरेन डिफ़ॉल्ट?**
  - जब एक **संप्रभु सरकार निर्धारित समय पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करने में विफल रहती है,** तो उसे सॉवरेन डिफ़ॉल्ट कहा जाता है।
  - **डिफ़ॉल्ट के परिणाम–** कर्ज का निपटान करने से सरकार पर ऋणदाताओं का बकाया कुल कर्ज कम हो जाता है। इसके साथ ही, मूलधन और ब्याज की अदायगी भी कम हो जाती है।
    - हालांकि, इससे देश की क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है और निवेशकों के लिए वह कम आकर्षक हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार से नए फंड प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- बाहरी ऋण पर स्वयं को डिफ़ॉल्ट घोषित करने वाला श्रीलंका पहला देश नहीं है। वर्ष 2020 में **लेबनान, अर्जेंटीना, बेलीज, जाम्बिया तथा सूरीनाम** ने भी स्वयं को डिफ़ॉल्ट घोषित कर लिया था। वर्ष 2015 में ग्रीस (यूनान) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए कर्ज पर स्वयं को डिफ़ॉल्ट घोषित करने वाला पहला विकसित देश बन गया था।

अन्य सुर्खियाँ

 भारत–संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023–27	○ यह भारत में **संयुक्त राष्ट्र की 26 संस्थाओं की योजनाओं और कार्यक्रमों की संपूर्णता को दर्ज** करने वाला एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ➢ इसका उद्देश्य **वर्ष 2030 एजेंडा के चार स्तंभों** को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना है। ये चार स्तंभ हैं– **लोग, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी।** ○ इसके छह परिणाम क्षेत्र हैं: (i) स्वास्थ्य और कल्याण (ii) पोषण और भोजन (iii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (iv) आर्थिक विकास और उत्कृष्ट कार्य (v) पर्यावरण, जलवायु, वाश (WASH) और लचीलापन (vi) लोगों, समुदायों और संस्थाओं को सशक्त बनाना। ➢ **यह भारत सरकार–संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (UNSDF)** के मध्य एक सहयोग ढांचा है। पहला सहयोग ढांचा वर्ष 2018–22 तक की अवधि के लिए था। वर्ष 2023–27 के लिए इसे नवीनीकृत किया जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
 गैर–संचारी रोगों पर वैश्विक समझौता (Global Compact on NCDs)	○ यह सरकार प्रमुखों का एक समूह है। इसकी स्थापना **गैर–संचारी रोगों (NCDs) से होने वाली एक तिहाई आकस्मिक मौतों को कम करने हेतु निर्धारित लक्ष्य में तेजी लाना है।** ➢ यह लक्ष्य **सतत विकास लक्ष्यों** का हिस्सा है। ○ **NCDs के बारे में–** ➢ **इन्हें चिरकालिक रोग** के रूप में भी जाना जाता है। ये लंबी अवधि के होते हैं। ये सामान्य रूप से आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं। ➢ उदाहरण के रूप में **हृदय रोग (जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक), कैंसर, पुराने श्वसन रोग** इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। ➢ हालांकि, इन्हें काफी हद तक रोका जा सकता है और इनका इलाज भी संभव है, फिर भी ये **रोग वैश्विक स्तर पर 10 में से 7 लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं।**
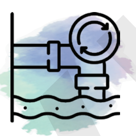 **घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन (DWWM)**	○ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में **भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है।** ○ DWWM प्रणाली व्यक्तिगत घरों, अपार्टमेंट ब्लॉक या छोटे सामुदायिक आवासों से निकलने वाले **अपशिष्ट जल** को उसके उत्पत्ति स्थल के समीप ही उपचारित करती है। इसका उपयोग **"ग्रे" और "ब्लैक" दोनों प्रकार के घरेलू अपशिष्ट जल** के पुनर्चक्रण के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में शामिल हैं: ➢ **प्राथमिक उपचार,** जिसमें निपटान टैंक या सेप्टिक टैंक में पूर्व–उपचार और अवसादन शामिल हैं; ➢ अवरोध युक्त संयंत्रों (baffled reactor) में द्वितीयक अवायवीय (anaerobic) उपचार; ➢ रीड बेड {सरकंडों (एक प्रकार की घास) की सतह} प्रणाली में तृतीयक वायवीय/अवायवीय उपचार; ➢ तालाबों में पॉलिशिंग आदि।
 टाइम बैंकिंग	○ **टाइम बैंक महिलाओं के बीच सहकारिता के आधार पर समय–साझा** करने की व्यवस्था पर केन्द्रित है। इसमें एक घंटा एकमुश्त क्रेडिट के बराबर होता है, भले ही निष्पादित सेवा या प्रत्येक व्यक्ति का कौशल या लैंगिक स्तर कुछ भी हो। ➢ टाइम बैंकिंग को **परित्याग किए गए समय के संदर्भ में एक अवैतनिक गतिविधि की अवसर लागत के रूप** में देखा जा सकता है। ➢ सेवा के आदान–प्रदान के प्रत्येक घंटे के लिए, **सेवा प्रदाता को एक टाइम क्रेडिट प्राप्त होता है तथा लाभार्थी द्वारा एक टाइम क्रेडिट का भुगतान किया जाता है।**

VISIONIAS

कुष्ठ रोग पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, 2021 (International Gandhi Award for Leprosy, 2021)	○ यह एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन (एक गैर–सरकारी संगठन) द्वारा स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति ने **चंडीगढ़ के डॉ. भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट** को यह पुरस्कार प्रदान किया है। ○ कुष्ठ रोग या हैनसेन रोग **माइकोबैक्टीरियम लेप्राई** के कारण होने वाला एक **चिरकालिक संक्रामक रोग है।** ➢ **यह त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा सतहों और आंखों को प्रभावित करता है।** ○ भारत ने वर्ष 1983 में **राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम** आरम्भ किया था। भारत ने कुष्ठ रोग (प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामला) को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है।
वर्णांधता (Colour blindness)	○ उच्चतम न्यायालय ने भारतीय फिल्म और टेलिविज़न संस्थान (FTII) को निर्देश दिया है कि वह **वर्णांधता से पीड़ित उम्मीदवारों को फिल्म निर्माण एवं एडिटिंग कोर्स से बाहर न करें।** ○ वर्णांधता के बारे में: ➢ इस रोग से पीड़ित व्यक्ति कुछ रंगों (सामान्यतः हरे और लाल) के बीच अंतर करने में असमर्थ होता है। कभी–कभी नीला रंग भी इसमें शामिल होता है। ➢ कारण: ज्यादातर मामलों में यह विकार जन्मजात होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में यह बाद में भी विकसित हो सकता है। ➢ ग्लूकोमा, मधुमेह, अल्जाइमर, पार्किंसंस आदि जैसी चिकित्सीय स्थितियां **जोखिम को और बढ़ा सकती हैं।**
देवघर मंदिर, झारखंड	○ **इसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर** के रूप में भी जाना जाता है। देवघर मंदिर भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ➢ ज्योतिर्लिंग एक मंदिर होता है, **जहां भगवान शिव की पूजा प्रकाश के एक प्रज्वलित स्तंभ के रूप में की जाती है।** ○ **अन्य 11 ज्योतिर्लिंग हैं** ➢ गुजरात में सोमनाथ, ➢ आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, ➢ मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, ➢ मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, ➢ उत्तराखंड में केदारनाथ, ➢ महाराष्ट्र के पुणे में भीमाशंकर, ➢ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ, ➢ महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर, ➢ महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा में औंधा नागनाथ, ➢ तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वर और ➢ महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट एलोरा में घृष्णेश्वर।
सुर्खियों में रहे स्थल	○ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हॉर्न ऑफ अफ्रीका 40 वर्षों में अपने सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। ○ राजनीतिक सीमाएँ: हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार **पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया, इथियोपिया (सबसे बड़ा देश), जिबूती व इरिट्रिया शामिल हैं।** ➢ सोमालिया और पूर्वी इथियोपिया को एक साथ सोमाली प्रायद्वीप कहा जाता है। यह अफ्रीकी का सबसे पूर्वी विस्तार है। ➢ प्रायद्वीप की **उत्तरी सीमा लाल सागर के दक्षिणी तट से लगती है।** ○ भूगोल: सोमालियाई और इरिट्रिया के तट, ओगाडेन मरुस्थल एवं इथियोपियाई उच्चभूमि सहित विविधतापूर्ण भू–विशेषताएं। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रभावों के कारण तराई क्षेत्र विशेष रूप से शुष्क हैं। ○ मुख्य नदियाँ: नील और जुबा–शबेले **नदी।**

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI